फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

गंगाराम / लाली देवी

91/2025

आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25/12/25	पत्रावली आज दिनांक 25/12/25 को [illegible] हुई। दि डिस्ट्रिक्ट [illegible] बार एसो. जयपुर द्वारा कन्डोलेन्स की [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/12/25 [illegible] हो।	
29/12/25	पत्रावली प्रस्तुत। व०फ० उप०। उभयपक्ष की कुरैजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। उभयपक्ष ने कोई आपत्ति नहीं की अतः मुताबिक तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी द्वारा प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

वाद संख्या– 91/2025 **वाद प्रस्तुति दिनांक 23.06.2025**

गंगाराम पुत्र ज्ञानाराम, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम खोरा बिसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर (राजस्थान)।

......वादी

बनाम

1. लाली देवी पत्नी गणेशराम जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम खोरा बिसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर (राजस्थान)।
2. शान्ति देवी पत्नी भैरूराम जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम खोरा बिसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

.......प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 29.12.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि आराजी कृषि भूमि खाता नम्बर नया 44 खसरा नम्बर 455 रकबा 0.8600 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.8600 हैक्टेयर में वादी का 1/2 हिस्सा एवं शेष हिस्सा अन्य प्रतिवादीगण का है, जो वाके ग्राम खारो बिसल, पटवार हल्का खोरों बिसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर में स्थित है। जो प्रस्तुत वाद मे विवादग्रस्त है। वादग्रस्त आराजी के वादी एवं प्रतिवादीगण रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी का खाते में 1/2 हिस्सा हैं, एवम् शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का है। वादी एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी को बाहमी रजाबंदी से हिस्से अनुसार अलग–अलग काश्त कर काश्त एवं प्राकृतिक उपज का उपयोग एवं उपयोग कर लाभान्वित होते एवं लगान की अदायगी करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजी वादीया एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजी है। वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। रिकॉर्ड मे आज तक वादग्रस्त आराजी का विभाजन नही हुआ हैं इसलिए वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। वादी शांतिप्रिय व कानून में आस्था रखने वाला व्यक्ति हैं, जबकि प्रतिवादीगण झगडालू किस्म के व संख्यबल में अधिक व्यक्ति हैं। जो उक्त भूमि को बिना विभाजन कराये दीगर व्यक्तियों को बेचान व हस्तान्तरण करने व उक्त कृषि भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित करने को आमांदा है। जो आये दिन नये व्यक्तियों को लेकर मौके पर उक्त कृषि भूमि को दिखाने तथा उक्त भूमि को बेचान करने को तैयार है वादी ने उनको उक्त भूमि का विभाजन करवाने के लिये दिनांक 25.05.2025 ईस्वी को कहा तो

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:18:56 IST
Reason: SelfAttested

वे आगबबुला होकर झगडा करने को उतारू हो गये, तथा वादी को धमकी दी कि वो कोई बंटवारा नही करायेगें तथा वादी को जोर जबरदस्ती से काश्त नहीं करने व अन्य उपयोग व उपभोग में बाधा व रूकावट डालने की धमकी दी। जिस कारण वादी को प्रस्तुत वाद बाबत् विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ हैं। वादी वादग्रस्त आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स कब्जे को मध्य नजर रखते हुए विभाजन कराने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। प्रस्तुत वाद के लिए वादकारण दिनांक 25.05.2025 ईस्वी को व उसके बाद हर दिन उत्पन्न हो रहा हैं। जिससे दावा अन्दर अवधि हैं। वादग्रस्त आराजी मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से मान्य न्यायालय को प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रतिवादी संख्या 3 को लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया हैं। वाद बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा निश्चित न्याय शुल्क 2/– रूपये की कोर्ट फीस पर पेश हैं। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन हे कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जायें।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजुद अनुपस्थित रहने पर दिनांक 08.10.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्राथमिक डिक्री पर बहस सुनी गई तथा वादी का वाद बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम खोराबीसल, पटवार हल्का खोरौं बिसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 146 रकबा 1.8600 हैक्टेयर कुल किता–1, कुल रकबा 1.8600 हैक्टेयर भूमि का बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025/4895 दिनांक 04.12.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात पर कोई आपत्ति नहीं की प्रस्तुत तर्को के आधार पर वाद तदनुसार तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:18:58 IST
Reason: SelfAttested

1. गंगाराम पुत्र ज्ञानाराम हि. संपूर्ण जाति ब्राह्मण रहन हि. संपूर्ण पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 455/2 रकबा 0.43 है. भूमि रहेगी।
2. लाली देवी पत्नी गणेशराम हि. 1/2 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार, शान्ति देवी पत्नी भैरूराम हि. 1/2 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 455/1 रकबा 0.43 है. भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रकरण संख्या – 91/2025
बउनवानी – गंगाराम बनाम लाली देवी वगै0
निर्णय दिनांक :– 29.12.2025

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार रामपुरा डाबडी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:58 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

वाद संख्या– 91/2025 **वाद प्रस्तुति दिनांक 23.06.2025**

गंगाराम पुत्र ज्ञानाराम, जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम खोरा बिसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर (राजस्थान)।

......वादी

बनाम

1. लाली देवी पत्नी गणेशराम जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम खोरा बिसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर (राजस्थान)।
2. शान्ति देवी पत्नी भैरूराम जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी ग्राम खोरा बिसल, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर (राजस्थान)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

.......प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता हैः–

1. गंगाराम पुत्र ज्ञानाराम हि. संपूर्ण जाति बागडा ब्राहम्ण राहिन हि. संपूर्ण पंजाब नेशनल बैंक शाखा सरना डूंगर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 455/2 रकबा 0.43 है. भूमि रहेगी।
2. लाली देवी पत्नी गणेशराम हि. 1/2 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार, शान्ति देवी पत्नी भैरूराम हि. 1/2 जाति बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 455/1 रकबा 0.43 है. भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार रामपुरा डाबडी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:58 IST
Reason: Self Attested

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख **29.12.2025** को जारी किया।

दस्तखत–––––
ओहदा––––

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बवत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बवत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:18:58 IST
Reason: SelfAttested